राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–953/2020

समर्थलाल मीना

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राजय जरिये शासन सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान जयपुर।
3. उप आयुक्त (पुलिस मुख्यालय), पुलिस आयुक्तालय, जयपुर।
4. रघुवीर सिंह, हैड कांस्टेबल न. 290, रिजर्व पुलिस लाईन, आयुक्तालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 09.09.2020
आदेश की दिनांक : 25.07.2024
उपस्थिति :–
अपीलार्थिया की ओर से : श्री ब्रह्म प्रकाश यादव, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : कोई उपस्थित नहीं

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिये जाने की प्रार्थना की है। अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ उसके द्वारा प्राप्त नकद राशि मय प्रशंषापत्र जो उसे प्रदान किये गये थे, उसके सम्बन्ध में आदेश प्रस्तुत किये हैं, जिन्हें रिकॉर्ड पर लिया जाता है।
2. अपीलार्थी को अपील पर सुना गया।
3. अपीलार्थी का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी हैड कॉस्टेबल (एमटी) से उप निरीक्षक पुलिस (एमटी) के पद पर पदोन्नति हेतु योग्यात्मक परीक्षा वर्ष 2017–18 में उपस्थित हुआ था। रिवॉर्ड व साक्षात्कार का परिणाम दिनांक 13.03.2020 को जारी किया गया, जिसमें अपीलार्थी को ''रिवॉर्ड एवं सजा'' में शून्य अंक प्रदान किये गये, जबकि अपीलार्थी को समय–समय पर रिवॉर्ड प्राप्त हुए हैं। अपीलार्थी को रिवॉर्ड के सम्बन्ध में कोई अंक नहीं दिये गये, जिस कारण से अपीलार्थी को पदोन्नति से वंचित रखा गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी उसके द्वारा प्राप्त रिवॉर्ड के सम्बन्ध में अपना अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता है, जिस पर प्रत्यर्थी विभाग विचार करते हुए अपीलार्थी को प्राप्त रिवॉर्डो को देखते हुए अपीलार्थी के

सम्बन्ध में पदोन्नति पर पुनः विचार करें। यदि अपीलार्थी को रिवॉर्ड के सम्बन्ध में अंक दिये जाते हैं तो अपीलार्थी को पदोन्नति का लाभ दिया जाए।

4. प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में एवं अपीलार्थी को दिये गये रिवॉर्डों दृष्टिगत रखते हुए आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)